संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./ 2013 /594 भोपाल, दिनांक 24.07.13

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
   मध्यप्रदेश

विषयः– परिवार कल्याण ऑपरेशन हेतु केम्प आयोजन के दिशा निर्देश।

- कैंप की व्यवस्था हेतु गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करें।महिला एवं पुरूष नसबंदी हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन 2006 में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही हितग्राही से informed consent लिया जाये।
- एल.टी.टी. केम्प फिक्स डे सर्विसेस की व्यवस्था के अनुसार किये जायें कैम्प के निर्धारित दिवस की जानकारी अस्पताल के सूचना पटल (प्रमुख स्थान) में प्रदर्शित किया जाये।
- एल.टी.टी. सर्जन को कैंप हेतु आने के लिये प्रातः 9 बजे वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- सभी मरीजों का प्री–ऑपरेटिव चेकअप आवश्यक रूप से किया जाये एवं informed consent अनिवार्य रूप से लिया जाये।
- एवं औपचारिक सहमति अनिवार्य रूप से ली जाये।
- डिलीवरी के 45 दिन होने तक एल.टी.टी. ऑपरेशन नहीं किये जायें।
- प्रत्येक महिला का प्रेग्नेंसी टेस्ट अवश्य किया जाये।
- अपने क्षेत्र के लक्ष्य दंपत्तियों में से प्रत्येक माह ऑपरेशन के लिये हितग्राहियों को चिन्हित कर निर्धारित केम्प तिथि में ए.एन.एम./आशा केम्प स्थल पर लेकर आयें।
- दो बच्चे एवं दो से अधिक बच्चे वाले दंपत्ति परिवार कल्याण ऑपरेशन के हितग्राही होंगे।
- कैम्प के पूर्व ही राशि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। आई.ई.सी. गतिविधि, हितग्राहियों को भुगतान तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी।
- कैम्प के पूर्व सघन प्रचार–प्रसार किया जाये।
- आवश्यकता पड़ने पर पास के अस्पताल/जिला अस्पताल में रेफरल की व्यवस्था रखें।
- आवश्यकतानुसार हितग्राहियों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रखें।
- कैम्प के कर्मचारियों की ड्यूटी / उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सभी प्रपत्र सहमति पत्र आदि पर्याप्त संख्या में हो।
- सर्जन्स की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करें।
- सर्जन यदि जिले के बाहर से आ रहे है तो उनकी सुविधा का ध्यान रखें।

- कैम्प के संभावित केस की संख्या का आंकलन कर दवाइयां, के.एल.आई. रिंग , लिनेन , औजार व अन्य व्यवस्थायें सुनिश्चित करें।
- कैम्प स्थल का चयन करते वक्त ऑपरेशन थियेटर में पानी, बिजली, इमरजेन्सी लाईट व अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखें व निरीक्षण भी करें।
- उपकरण आदि कार्यशील है या नहीं पूर्व में ही चैक कर लें।
- इमरजेंसी ड्रग्स भी पूर्व में चेक कर लें।
- कैम्प का समय प्रातः 10 से 4 बजे के बीच हो।

कैम्प के पूर्व प्रचार–प्रसार गतिविधियां:–

- जन समूह संचार– टी.वी. रेडियो, बैनर माइक, स्थानीय माध्यम।
- समूह संचार– सेवा प्रदायकर्ता, प्राईवेट चिकित्सक, पंचायतराज के सदस्य, रोटरी क्लब , लायन्स क्लब , अर्धशासकीय संस्थानों के सदस्य, आर्मी , पुलिस आदि समूहों के साथ एन.एस.व्ही.टी. पर विडियो डिमास्ट्रेशन किया जा सकता है।
- अंतरवैयक्तिक संचार–
- मेडिकल ऑफिसर के साथ आशा , ए.एन.एम. या पुरूष कार्यकर्ता के बीच संवाद।
- फिलिप चार्ट/ हैण्डबिल का उपयोग।
- प्रचार –प्रसार हेतु पूर्व सूचना
- कैम्प के स्थन, तारीख व समय की पूर्व सूचना।
- पारंपरिक व्ही.टी. की अपेक्षा एन.एस.व्ही.टी. के फायदे के संदेश।
- ऑपरेशन के बाद सावधानियां , दवाईयां खाने के निर्देश फॉलोअप आदि के संबंध में स्पष्ट स्थानीय भाषा में समझाइश।

o/c (डॉ. पी.एन.एस. चौहान)
संचालक,
परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

कमांक–3/प.क./ 2013 / 595 भोपाल, दिनांक 24/07 /2013

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य ,आयुक्त, मध्यप्रदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
3. मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक आफ इंडिया बिलिडिंग, तृतीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।

24/7/13
संचालक
o/c परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/3/प.क. /स्था./2013/ भोपाल दिनांक

आदेश

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में भी आपको समय–समय पर परिवार नियोजन हेतु महिला एवं पुरूष नसबंदी ऑपरेशन के लिये भारत सरकार की गाइडलाईन standard for female and male sterilization services 2006 के पालन हेतु निर्देशित किया गया है, पुनः निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार की गाईडलाईन का पालन अनिवार्य रूप से करें ।

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान)
संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश

क्रमांक/3/प.क. /स्था./2013/ 597 भोपाल दिनांक 24/7/2013

प्रतिलिपिः–आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतुः–

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह चिकित्सा अधिकारी म.प्र.।

24/7/13
संचालक परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश